(Shri Jagesh Desai)

ments so that they can spend in the metropolitan areas to remove these difficulties. If that is done, I am sure, that we will be able to solve many of their problems.

Sir, before I conclude, I want to give two or three suggestions for the consideration of the hon. Minister. Firstly, the Urban Land Ceiling Act has to be amended and implemented in toto. It should be made more vigorous. The land belonging to agriculturists should be given remunerative price for their land. They must be given different treatment. Those persons who are owning land must be given separate compensation after acquisition by the Government. Secondly, the Reserve Bank of India should give directive to all the nationalised banks to give 5 per cent of the advances for constructing houses. For the Central Government employees there should be a revolving fund of Rs. 5 crores so that after their retirement from service they can construct their own houses. After retirement where else they can go? So we have to see that the Central Government employees are also taken care of.

Finally, those who are staying in the slum areas, the Central Government has not agreed to provide land to the slum dwellers which it has acquired from the State Governments. There are some areas wherein the Central Government has acquired some land from the State Governments for the purpose of developmental work. These lands are lying idle and the State Government is unable to develop these lands for want of a no objection certificate from the Central Government. If they give a no objection certificate I am sure throughout the country these slum dwellers can be accommodated on these lands and some minimum amenities can be provided by the State Governments.

With these few words I support the Resolution moved by my colleague, Shri M. P. Kaushik. I also thank Shri Kaushik for bringing forward such a Resolution which seeks to give relief to the common man.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The discussion on this Resolution will spill over. Now the Members can seek clarifications on the statement made by the Minister of Parliamentary Affairs and Minister of Food & Civil Supplies. I would also like to remind the Members that there is a statement at 5.30 p.m., so, please be brief.

CLARIFICATIONS ON THE STATEMENT BY MINISTER RE: STATUTORY MINIMUM PRICE OF SUGARCANE FOR 1987-88

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : मान्यवर, सरकार हर साल गन्ने के स्टेट्यूटरी प्राइस की घोषणा करती है और इसके बाद स्टेट्स अपने यहां प्राइस की घोषणा करती है । यह सिलसिला कई सालों से हम को देखने को मिलता है । गन्ने की पैदावार हर साल घटती जा रही है । 1981–82 में यह गन्ने की पैदावार 186 मिलियन टन थी, 1982–83 में 189 तक हो गई लेकिन 1985–86 में घट कर कुल उत्पादन 117 मिलियन टन हो गया है । यह इस बात का सबूत है कि सरकार किसानों को गन्ने की लाभप्रद कीमत नहीं दे रही है। अगर किसान को लाभप्रद

5 P.M. कीमत दी गई होती, तो गन्ने का उत्पादन 179 मिलियन टन से घट कर 170 मिलियन टन नहीं होता और साथ ही चीनी का उत्पादन जो 84 लाख टन था 1982–83 में, वह अब घट कर इस साल शायद 79 लाख टन होगा ।

यह इस बात का संकेत है कि सरकार के द्वारा गन्ने की प्राईस की घोषणा से किसान खुश नहीं है और इसलिए धीरे-धीरे वह गन्ने का उत्पादन घटाते जा रहे हैं । इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने अभी जो 17 रुपये .....

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : 17 रुपये से 18 रुपये किया है ।

श्री सूरज प्रकाश : अभी जो प्राईस की घोषणा 17 रुपये से 18 रुपये उन्होंने की है— (**समय की घंटी**)— यह लाभप्रद कीमत नहीं है । इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गन्ने की कीमत; जो किसान संगठन पूरे देश के अंदर मांग रहे कि उसकी 30 रुपये कीमत होनी चाहिए, सरकार उस पर विचार करेगी, नम्बर 1 ?

दूसरा प्रश्न जो मैं इस संबंध में पूछना चाहता हूं वह यह है कि इस गन्ने की कीमत के कारण देश में चीनी का सरकार को आयात करना पड़ता है। जो देश पहले चीनी का निर्यात करता था, वह देश आज चीनी का आयात करने वाला बन गया है।

इसलिए भी मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अब सरकार ने जो गन्ने की प्राईस की घोषणा की है, अगर वह सचमुच में चाहती है कि देश में चीनी का आयात बंद हो, तो गन्ने की लाभप्रद कीमत की घोषणा सरकार को करनी चाहिए और वह फिक्स होनी चाहिए। **(समय की घंटी)**

तीसरी बात, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि गत साल सरकार ने लेवी की चीनी का मार्केट में चीनी की रेशो 65 और 35 की रेशों में किया था और गत साल उसने उसको घटा दिया, 55 और 45 कर दिया इस उम्मीद से कि चीनी की कीमत बाजार में कम हो जाएगी, लेकिन देखने को मिलता है कि चीनी की कीमत देश में बढ़ती चली जा रही है।

इसलिए मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार टोटल चीनी को लेवी के रूप में बिक्री करने की दिशा में कदम उठायेगी ?

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Minister has announced that price will be Rs. 18/- per quintal for the year 1987-88. Last time when he announced the sugarcane price for the year 1986-87, it was Rs. 17|- that is from 1st October to 30th September. Now, beginning from 1st October, 1987 to 30th September 1988, i.e. the next season, only one rupee has been increased. The minimum price announced by the Minister is very very inadequate. Sugarcane growers are demanding more price for the last so many years, but the Government has not paid any heed with the result, there is a continuous shortage of sugarcane in the country because the sugarcane growers are not prepared to bear the loss. The result is there is shortage of sugarcane and due to the shortage of sugarcane due to low fixation of price, the sugarcane crushing mills have now become idle because there is no proper supply of sugarcane to the mills. So, there is loss to farmers as well as to the mills. Due to this, the crushing mills in the country will remain idle. So, I would like to request and appeal to the Minister and also to the Central Government to consider the demand of the sugarcane growers and adequate and sufficient price should be fixed. An increase of rupee one is not sufficient. It is not going to help the farmers.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 12 मार्च, 1980 को केन्द्र सरकार ने फैसला किया था कि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों के दामों और कारखानें में बनने वाली चीजों के दामों में पैरिटी इस्टेब्लिश की जायेगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह पेरिटी का सिद्धांत कहां तक गन्ने पर लागू होता है ? अभी पिछले साल 400/-रुपए क्विंटल लोहे का दाम था और सीधे वह 800/- रुपए हो गया और 1980 से 1986 के बीच में कारखानों में बनने वाली चीजों के दामों में भी इसी तरह बढ़ोतरी हुई। लेकिन किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजों में सरकार ने क्या वृद्धि की है, कितनी की है ? आपकी इसी नीति का परिणाम है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज चीनी विदेश से मंगानी पड़ी। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सन् 1982-83 में किसानों के लिए दाम जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया, तो देश के किसानों ने इतनी चीनी पैदा की कि हम एक्सपोर्ट करने लगे और फिर जब आपने दाम को रोक दिया तो परिणाम यह है कि हम विदेश से चीनी मंगा रहे हैं। फिर क्या जरूरत है कि अगले साल की स्टेचुटरी प्राइस इस साल आपने आठ आना बढ़ाई और अगले साल का एक रुपया बढ़ाया गया। एक रुपए से कोस्ट आफ प्रोडक्शन चाहे किसान के खेत में लेबर की कोस्ट, किसान के खेत में ट्रेक्टर का इस्तेमाल या पेस्टीसाइड-इनसेक्टीसाइड का इस्तेमाल, या जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल या केनाल ट्यूबवेल से पानी का [illegible]

[श्री कल्पनाथ राय]

करने का क्या होगा, किसान अपने हाथों से इतनी मेहनत करता है और गन्ने की खेती, गन्ने को पैदा करने में अपना सारा समय खो देता है और नौ महीने दिन-रात कठोर परिश्रम करने के बाद गन्ना पैदा करता है। आज चीनी का महत्व सुबह बैड-टी से लेकर सोने तक है सारे देश में और यह इतनी आवश्यक चीज है, जिसको किसान पैदा करता है। इसके लिये जो आपने एक रुपया बढ़ाया है, बहुत कम है। इससे सरकार की खुद की नीति का कंट्राडिक्शन होता है कि किसानों के खेतों में पैदा होने वाली चीजें और कारखानों में बनने वाली चीजों के दामों में पेरिटी इस्टेब्लिश होगी, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में केबिनेट का डिसीजन है। उस डिसीजन का आपके एक रुपए से क्या रिश्ता है ?

SHRI ALADI ARUNA alias V. ARUNACHALAM (Tamil Nadu): Sir, the Minister in his statement has announced an increase of one rupee for the year 1987-88. The farmers of Tamil Nadu and other parts of India are totally dissatisfied with this meagre increase. In the sugarcane price policy we are going very slow. In 1984-85, the price was Rs. 14 per quintal. Fortunately it was increased to Rs. 16.50 in 1985-86. Thereafter, every year we have been increasing the price by one rupee per quintal. This is causing irritation to the farmers. There must be some relationship between the cost of production of sugarcane and the price fixation. Now, as far as the open market price of sugarcane is concerned, in Punjab it is Rs. 24 to Rs. 27, in Uttar Pradesh, it is Rs. 23 to Rs. 24 and in Tamil Nadu in the cooperative sector it is Rs. 23 but in the private sector it is Rs. 32. But we are always fixing it below Rs. 20. Is there any meaning in it? Therefore, the minimum price should be at least Rs. 20. Sir, this fixation is strongly opposed by the farmers of Tamil Nadu. If you go through press reports, in Maharashtra, in Uttar Pradesh and other parts, the farmers have declared a strike fast, everything, against the policy of the Government. In Tamil Nadu the gross income per hectare is much compared to other. States— [illegible] in Karnataka Rs. 17,000, in Andhra Pradesh Rs. 16,000, in UP Rs. 11,000, in Bihar Rs. 7,000. We are getting more per hectare. Even then we are opposing if it is not remunerative to the farmers of Tamil Nadu. I need not say much about the farmers of other areas. Therefore, this increase did not satisfy the farmers, At least in the next year the Minister should come forward with some reasonable policy based on good rationale.

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM (West Bengal): In keeping with a recent practice of the Government to announce the statutory minimum price of sugarcane the honourable Minister has come forward with the statement and the information given to the House is that the minimum price of sugarcane for 1987-88 would be Rs. 18 a quintal marking an increase of Re. 1 over the last year's price. In this connection I would like to know from the honourable Minister, firstly, what the basis is for fixing this minimum statutory price of sugarcane for 1987-88 at Rs. 18 per quintal, whether any production cost index was furnished to the Government by the Commission on Agricultural Costs and Prices and in view of the increasing prices of all agricultural inputs whether the honourable Minister considers this prices to be remunerative to the growers. Then, secondly, the rate of increase in the sugarcane price as announced by the honourable Minister for 1987-88 is 6 percent. We know that the consumer price index is increasing at the rate of nearly 10 per cen recently. In view of this may I request the honourable Minister to have a second look into the matter and raise the minimum price to at least 25 per quintal? Lastly, I would like to remind the honourable Minister that the sugarmill owners do not pay the dues to the growers in time; they owe annually huge arrears to the sugarcane growers. May I know what the total amount of arrears is that the millowners owe to the growers for the season 1985-86 and what steps are being taken by the Government to ensure that the existing arrears are cleared very soon and to see that no such arrears occur in future so far as sugarcane growers are concerned?

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, सब से पहले तो कहना चाहता हूं कि जो चीजों को पैदा करने वाला होता है वही उस चीज का दाम तय करता है, तो यदि गन्ने का दाम कृषि मंत्री तय करते तो उन की हमदर्दी किसानों के साथ अधिक होती। मैं पूछना चाहता हूं कि गन्ने की और चीनी की कीमत में तारतम्य क्या है। क्या कीमत कम होने के कारण ही गन्ने की पैदावार कम हुई और उस के साथ साथ चीनी की पैदावार कम हुई ? क्योंकि यह साफ बात है कि एक जमाने में हम इतनी चीनी पैदा कर लेते थे कि विदेशों में 8 आना प्रति किलो के हिसाब से बेच सकते थे। उस स्थिति में और आज की स्थिति में क्या अंतर है ?

दूसरी बात जानना चाहता हूं कि क्यों सरकार ने चीनी का उत्पादन न बढ़ा कर बल्कि उस के स्थान पर चीनी को आयात कर के यहां की जरूरत पूरी करने की नीति अपना ली है ? एक किसान के नाते कहना चाहता हूं कि अगर किसानों को प्रोत्साहित किया जाये तो यहां का किसान जो आयात होता है उस को ही पूरा नहीं करेगा बल्कि चीनी निर्यात करने की स्थिति में भी देश को ला कर रख देगा। क्या सरकार ने इस बात पर भी कभी विचार किया है ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि किसानों के गन्ने की जो कीमत एक रुपए बढ़ा दी जाती है तो क्या उसमें किसानों का जो खर्चा आता है गुड़ाई का, जुताई का, खाद का ढुलाई का, वह भी जोड़ा जाता है ? और उसको पैसे भी समय पर आप नहीं दिला सकते हैं तो क्या यह किसान के खर्च में शामिल किया जाता है ? अगर किया जाता है तो उसकी कीमत क्या है ?

चौथी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बकाया अभी तक सारे देश में किसानों को चीनी के कारखाने वालों ने जो नहीं दिया है उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ? सरकार ने नियम बनाया है कि बकाया रह जाए तो उसका सूद किसानों को मिले। तो उस सूद को दिलाने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

एक सवाल और पूछना चाहता हूं। जहां पर चीनी के कारखाने होते हैं वहां चीनी के कारखानों से किसानों के लिए सड़क का सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था आदि में सहयोग देने की परंपरा रही है। जो आज इन क्षेत्रों में चीनी मिलों ने सुविधाएं देने की क्या व्यवस्था की है, इस ओर सरकार का ध्यान है ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now, the honourable Minister to reply.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very much grateful to the honourable Members, Mr. Suraj Prasad, Mr. Satyanarayan Reddy, Mr. Bin Quasem, Mr. Kalpnath Rai, Mr. Aladi Aruna and Mr. J. P. Yadav for having expressed their opinions on the minimum sugarcane price and I would very respectfully submit that the Government is quite sympathetic to the farmers. I will just come to the point, Sir, which they have raised **व्यवधान**...

जरा इंतजार कीजिए। मैं कह रहा हूं कि देश की शुगर नीति जो भी बनाई जाती है उसमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि शुगरकेन ग्रोअर को रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले, मैं इस बात से सहमत हूं। अगर उसको रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा ?

दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर, जो खरीदने वाला है उसके ऊपर बोझ न पड़े, जितना पड़ना है पड़े उससे ज्यादा न पड़े जिससे कि उसे तकलीफ हो। तीसरी बात यह है कि जो शुगर बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं उनकी भी वायेबिलिटी रहे। अगर उनकी वायेबिलिटी नहीं रहेगी तो काम चलने वाला नहीं है। तीनों चीजों का मेल, संगम और बैलेंस करने पर कुछ निर्णय करना पड़ता है जिससे स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते

[Shri H. K. L. Bhagat]

हुए सरकार ने यह निर्णय किया। आनरेबल मैंबर्स को पता है कि यह जो प्राइस है, यह फ्लोर प्राइस है, मीनिमम स्टेच्युटरी प्राइस है जो उनको देनी पड़ती है। इसका मकसद सपोर्ट प्राइस है। मान लिजिए कि गन्ना बहुत ज्यादा हो जाए, जगदंबी प्रसाद जी को भी पता है कि एक जमाने में गन्ना जलाना पड़ा था। यह खासकर उस जमाने में हुआ उसकी मैं आपको याद नहीं कराना चाहता हूं लेकिन सरकार की जो सपोर्ट प्राइस है वह उस समय किसानों को मदद करने के लिए है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस समय जो मिनिमम स्टेच्युटरी प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, इसके साथ-साथ राज्य सरकार भी ऐडवाइस करती है कि कि यह प्राइस में करो और वह मिनिमम प्राइस से ज्यादा होती है और कई सालों से शुगरकेन ग्रोअर्स को राज्य सरकारों ने जो प्राइस में करवाई है, आप खुद ही अभी पढ़ रहे थे 24, 23, 25, 26, रुपये दी है।

तीसरी बात जो आपने कही है शुगर केन का प्रोडेक्शन कम हो रहा है इस कारण से कम हो रहा है कि क्योंकि प्राइस कम है। एक बात यह नहीं भूलनी चाहिए कि शुगर केन के कम प्रोडेक्शन में एक कारण यह भी है कि कुछ सालों में ड्राउट रहा, पानी की कमी रही सीजन की बजह से और इस कारग प्रोडेक्शन कम रहा। जहां तक प्राइस का सवाल है, यह तो साइकिल है कि शुगर केन ज्यादा हो गया तो शुगर ज्यादा होगी और दामकम हो जायेंगे। अगर दाम कम हो जायेंगे तो अगली दफा शुगर केन कम पैदा होगा।

It is a cycle. Too much of sugarcane less price of sugarcane. More sugar, less price of sugar; then less production next year.

सरकार इस बात की पूरी कोशिश कर रही है, मिनिस्टरी आफ एग्रीकल्चर ने प्लान बनाया है जिसमें शुगर केन की प्रोडेक्शन को बढ़ाया जाए। एरियाज बढ़ाने में स्कोप कम है, ज्यादा नहीं है। जो मुझे बताया गया है। जगदम्बी प्रसाद यादव जी की तरह ज्ञानी तो मैं हूं नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जहां तक मालूम है स्कोप है उसको बढ़ाने का, क्वालिटी से, सीड से और दूसरी चीजों से। उन्होंने कुछ प्लान बनाया है कुछ एरिया डवलप करने का। मैंने उनसे कहा है और आपके सामने भी कहना चाहता हूं कि मिनिस्टरी आफ एग्रीकल्चर राज्य सरकारों से सलाह करके कोई भी स्कीम लायें शुगर केन को बढ़ाने के लिए तो उसमें हम डवलपमेंट फंड से शुगर केन को बढ़ाने में उनकी ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मदद करने को तैयार हैं। जो भी वह स्कीम लायेंगे उसे हम मंजूर करेंगे और शुगर केन बढ़ायेंग।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : दामके बारे में भी बताइये। **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : एक मिनट आप बैठिये। आप नाराज मत होइये।

शुगर केन के बढ़ाने के साथ साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि शुगर केन की क्वलिटी को भी बढ़ाया जाये। पिछले कई सालों से शुकगर केन का प्रोडेक्शन स्टेटिक रहा है। 1981-82 1982-83 में ज्यादा हुआ था लेकिन उसके बाद करब-करब स्टेटिक रहा हैं। लेकिन 85-86 में शुगर केन तो कम रहा लेकिन 14 परसेंट शुगर बढ गया। कुछ स्टैप्स लिये गये जिसके कारण शुगर का प्रोडेक्शन 14 परसेंट बढ़ गया।

अभी हमारे जो आनरेबल मैम्बर ने कहा प्राइस इंडैक्स बढ गया है। यह कहा है कि प्राइस इंडैक्स बढ गया है इसको देखना चाहिए। अगर 25 रुपया मिनिमम प्राइस कर दें, हम आपकी बात मान लें तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कुछ और

बढ़ाती है तो शुगर कज्यूमर को किस तरह मिलेगी, प्राइस इंडक्स कहां तक जायेगा इसका आपको अंदाजा नहीं है। एक रुपया बढाने से अगले साल कितना होगा इसका अंदाजा आप को नहीं है। शुगर के मामले में केन ग्रोवर के इन्टेरेस्ट को, कज्यूमर के इंटरेस्ट को, मिल की वायो-बिलिटि के इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। पिछले साल में 50 पैसे बढाया गया और स्टेट्स ने भी बढ़ाया। अभी एक रुपया बढ़ाया गया। हमारा ख्याल है कि शुगर केन के प्रोडेक्शन में मदद करेगा यह स्टैप। यह शुगर केन के फार्मर्स के हक में एक अच्छा कदम है जिससे इन को मदद मिलेगी। एक आनरेबल मैम्बर ने बताया कि मिल आनर्स को नुकसान होगा। इससे मिल आनर्स को नुकसान नहीं होगा। जो प्राइज कैलकुलेट की जाती है लेवी प्राइज, बाद में जो शुगर दी जाती है, हम जो उनसे लेवी चीनी लेते हैं डिस्ट्री-ब्यूशन सिस्टम के लिए तो उसमें जो फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है उसमें एक फैक्टर शुगर केन की मिनिमम प्राइज का रखा गया है। उसका कम्पोनेन्ट होता है। जिससे मिल वालों को कुछ फायदा होता है। किसान को फायदा होता है। अभी कल्पनाथ राय जी कह रहे थे कि पैरिटी प्राइसेज की है। पैरिटी सारी चीजों की है इन सब को जोड़ कर आप दाम बढ़ाइये। पैरिटी कोई आइसोलेशन में नहीं है। यह तो दाम रिकमेंड किये जाते हैं, जो कमीशन एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेज है वह करता है। उसकी रिकमेंडेशन पर किया जाता है। जो कास्ट आफ प्रोडेक्शन होता है इन डिफरेंट स्टेट्स, उसका वह एवरेज निकाला है। उसके एवरेज के निकालने पर वह रिकमेंडेशन देती हैं ताकि उस में कुछ रेम्यूनरेटिव एम्फ्लीमेंट रहे। उनकी रिकमें-डेशन पर इन सब चीजों पर प्राइज तय की गई है। मैं एरियर की बात भी बताना चाहूंगा। हमारी आशा है कि इस स्टेप्स से शुगर केन प्रोडेक्शन में भी और शुगर के प्रोडेक्शन में मदद मिलेगी।

दूसरी बात मैं एरियर्स की आपसे कहना चाहता हूं। एरियर्स का जहां तक ताल्लुक है, इस में पोजीशन यह है कि पिछले सालों से एरियर्स कम हुए हैं, एरियर्स का परसेन्टेज कम हुआ है। 1637.82 करोड की कुछ पेमेंट थी। सन् 1985-86 से बाकी एरियर्स जो थे, 30-9-86 तक वह 16 करोड़ 91 लाख के थे। यह एक परसेंट बाकी है। पहले साल में जो परसंटेज रहा वह ज्यादा रहा। इस साल सबसे कम रहा है। फिर हमने सब मुख्य मंत्रियों को परसनली पत्र लिखा है। राज्य सरकारों को पावर्स हैं। कुछ राज्य सरकारों ने, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर्स ली हुई है। वे एरियर्स को लैण्ड रेवेन्यू की तरह रिकवर कर सकते हैं। कुछ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अधीन भी कार्यवाही कर सकते हैं। मैंने सब को इस बारे में पत्र लिखा है। मेरे पास तमिलनाडू के मुख्य मंत्री का उत्तर आया है जिसमें कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एरियर्स की तादाद कम हो और वह कम हुई है। अगर 15 या 16 दिन में पैसा नहीं दिया जाता है तो उसका इंटेरेस्ट देना पड़ता है। कहीं कहीं पर इंटेरेस्ट नहीं दिया जाता है। हमने राज्य सरकारों को लिखा है आप इंटेरेस्ट भी दिलवायें।

जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है, वह शुगरकेन ग्रोवर्स के साथ हैं, उनको सपोर्ट करती है, उनकी मदद करना चाहती है। साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी रिजनेवल प्राइज में रखना चाहती है, साथ-साथ जो मिल्स वायवल नहीं हैं, सिक मिलें हैं, उनको भी ठीक करना चाहती है, उनको मोर्डेनाइजड करना चाहती है। शुगर केन डैवलपमेंट के लिए बहुत से काम हुए हैं। हमारी इस बारे में रिसर्च की भी स्कीमस हैं। हमने एग्री-कल्चर मिनिस्टर से कहा है कि आप

[श्री एच० के० एल० भगत]

शुगरकेन के लिए कोई स्कीम लाइये, शुगर केन के डैवलपमेंट के लिए लाइये, हम उसके लिए फण्ड देने के लिए तैयार हैं

STATEMENT BY MINISTERS

Demands of Junior Doctors' Federation of Delhi.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, Honourable Members would recall my statements given in the House on 10th November and 13th November, 1986 on the resident doctors strike. I had informed the House that we were continuoing our efforts to find a mutually agreeable solution and come to an understand with the striking junior doctors. I am happy to inform the Honourable Members that we have reached a settlement with the Junior Doctors' Federation of Delhi and Associations of other Central Medical Institutions late last night. A copy of the agreement reached with the Junior Doctors' Federation is placed on the Table of the House. The strike has been called off with immediate effect. I take this opportunity to thank the Honourable Members for the understanding they showed while we were engaged in working out a solution. I am also grateful to the public of Delhi for putting up with the inconvenience for a few days. My thanks also go to the media, public individuals and the junior doctors in helping us in the process.

As mentioned in my statement to the House on 10th November, 1986, we will review the entire residency scheme at the earliest.

It is desirable that the recruitment of doctors to this programme is through the normal channels of Government recruitment and based on the principles adopted for similar recruitment. At the same time there might have to be some measure of flexibility in the scheme to allow the students to acquire postgraduate qualifications and training and also serve in the various specialities with a view to help the hospitals and colleges discharge their functions effectively and efficiently.

COPY OF THE AGREEMENT

The Junior Doctors' Federation of Delhi and Associations of other Central Medical Institutions welcome the Government proposal to undertake a review of the Residency Scheme with a view to placing it on more sound lines so that the discontent of the Resident Doctors could be removed and the functioning of the Scheme improved to benefit the patients who throne our hospitals.

The Junior Doctors' Federation of Delhi and Associations of other Central Medical Institutions are gratified to note that:—

(a) The Junior Residents|House Surgeons will be paid respectively Rs. 2400 Rs. 2475, Rs. 2550|- per month in the first, second and third year of their junior residency. This will be inclusive of all allowances including NPA, They will be eligible for admissible CCA and HRA. They will be sanctioned DA on 90 per cent of the remuneration.

(b) Senior Residents will be paid respectively Rs. 8000, Rs. 3100, Rs. 3200 in the first, second and third year. This will be inclusive of all allowances including P. G. alolwance and NPA. They will be eligible for admissible CCA and HRA. They will be sanctioned D.A. as admissible on 90 per cent of their consolidated remuneration.

(c) The revised remuneration approved for the Junior and Senior Residents will be disbursed to the Resident Doctors expeditiously. The sanction of this remuneration will be with effect from 1-1-1986. The revised CCA and HRA will be sanctioned with effect from 1-10-1986.

(d) These remunerations will be subject to revision as and when remuneration of other relevant Government servants are revised including revisions made in the Fourth Pay Commission recommendations.